>

Ttile: Introduction of National Medical Commission Bill, 2019.

**THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN):** Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for a medical education system that improves access to quality and affordable medical education, ensures availability of adequate and high quality medical professionals in all parts of the country; that promotes equitable and universal healthcare that encourages community health perspective and makes services of medical professionals accessible to all the citizens; that promotes national health goals; that encourages medical professionals to adopt latest medical research in their work and to contribute to research; that has an objective periodic and transparent assessment of medical institutions and facilitates maintenance of a medical register for India and enforces high ethical standards in all aspects of medical services; that is flexible to adapt to changing needs and has an effective grievance redressal mechanism and for matters connected therewith or incidental thereto.

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है:

"कि ऐसी आयुर्विज्ञान शिक्षा प्रणाली का, जिससे पर्याप्त और उच्च क्वालिटी वाले चिकित्सा वृत्तिकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो, जो

चिकित्सा वृत्तिकों को उनके संकर्म में नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान को अंगीकार करने और ऐसे अनुसंधान में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करे; जिसका एक उद्देश्य आयुर्विज्ञान संस्थाओं का आवधिक निर्धारण करना तथा भारत के लिए एक चिकित्सक रजिस्टर रखे जाने को सुकर बनाना और चिकित्सा सेवाओं के सभी पहलुओं में उच्च नीतिपरक मानकों पर बल देना हो; जो परिवर्तनशील आवश्यकताओं को अंगीकार करने में सुनम्य हो और जिसमें एक प्रभावी शिकायत प्रतितोष तंत्र हो तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए । ”

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।*

**DR. HARSH VARDHAN**: Sir, I introduce the Bill.

-

-

**14.04 hrs**

## MATTERS UNDER RULE -377*

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पर रखा जाएगा । जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने

की अनुमति दी गई और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर मामले का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें ।

केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा, जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गया है, शेष को व्यपगत माना जाएगा ।